राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, मुख्यालय, जयपुर

क्रमांकः– मुख्या/कार्मिक/प्रशा.सु./2020/92 दिनांकः 19.4.2020

आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक मुख्या/कार्मिक/प्रशा.सु./2020/90 दिनांकः 17.04.2020 एवं इसके अनुपालना में निगम के अन्य विभागों, आगारों एवं अन्य ईकाईयों द्वारा जारी किए समस्त आदेशों को तुरंत प्रभाव से निरस्त किया जाकर दिनांक 20.04..2020 से 03.05.2020 तक की अवधि के लिए निम्न आदेश जारी किये जाते हैं :–

1. समस्त विभागाध्यक्ष एवं मुख्यालय के समस्त महा प्रबन्धक,सयुंक्त महा प्रबन्धक एवम् उप महा प्रबन्धक (मय निजी स्टाफ) मुख्यालय में उपस्थित रहेगें।
2. समस्त आगारों के मुख्य प्रबन्धक एंव प्रबन्धक (प्रशासन/संचालन/वित्त/यातायात), समस्त केन्द्रीय कार्यशालाओं के मुख्य उत्पादन प्रबन्धक/उत्पादन प्रबन्धक, केन्द्रीय भण्डार/टायर प्लांट के महा प्रबन्धक एवं कार्यकारी प्रबन्धक (मय निजी स्टाफ) अपने अपने कार्यालय में उपस्थित रहेंगे।
3. समस्त आगार/ईकाई द्वारा स्थानीय प्रशासन (जिला कलेक्टर) द्वारा कार्यालय खोले जाने के सम्बन्ध में जारी आदेशों की पालना की जावेगी एवम् आगार/ईकाई के बन्द रहने की स्थिति में सम्बन्धित मुख्य प्रबन्धक द्वारा सूचना दिनांक 20.04.2020 को सांय 4.00 बजे तक केन्द्रीय नियंत्रण कक्ष, मुख्यालय को प्रेषित की जावेगी।
4. निगम के शेष सभी अधिकारी एवं कर्मचारियों की स्थिति घर से कार्य (Work From home) करने की होगी तथा वे दूरभाष पर उपलब्ध रहेंगे एंव आवश्यकता होने पर उन्हे कार्यालय बुलाया जा सकता है।
5. इस दौरान किसी भी कार्मिक को विशेष या अपरिहार्य स्थिति के अलावा मुख्यावास छोडने की अनुमति नही होगी।
6. मुख्यालय/आगारों/ईकाइयो में पदस्थापित अधिकारी जो कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्र में अथवा कोरोना हॉटस्पॉट क्षेत्र मे रहते है, को आगामी आदेश तक कार्यालय में उपस्थित होने की अनुमति नही है। इसे संबंधित विभाग/आगार/ईकाई भी अपने स्तर पर सुनिश्चित करेंगे।
7. कार्यालय में उपस्थित होने वाले अधिकारी कार्यालय में कोरोना से बचाव हेतु सामाजिक दूरी (Social Distancing) संबंधी मापदण्डो का सख्ती से पालन करेंगे तथा अनिवार्य रूप से मास्क पहनेंगे।
8. इस दौरान मुख्यालय/ईकाइयों में बडी बैठक जिसमें 10 से अधिक अधिकारी शामिल होने की संभावना हो आयोजित नही की जावेगी।
9. मोडिफाईड लॉकडाउन के दौरान आमजन का मुख्यालय में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।

कोविड–19(Covid–19) से सुरक्षा एवं बचाव हेतु राज्य सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा राजकोविड (RAJ COVID INFO) इंफो तथा भारत सरकार द्वारा आरोग्य सेतु एप (AAROGYA SETU) विकसित किया गया है । सभी अधिकारियों / कर्मचारियों को उक्त एप अपने मोबाईल पर डाउनलोड करने तथा कोरोना के बचाव हेतु इसका उपयोग करने हेतु निर्देशित किया जाता है ।

यह आदेश श्रीमान् अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक से अनुमोदित है ।

19/4/2020
(एम.पी.मीना)
कार्यकारी निदेशक (प्रशासन)

क्रमांकः– मुख्या/कार्मिक/प्रशा.सु./2020/92 दिनांकः 19.4.2020

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान परिवहन निगम, मुख्यालय,जयपुर
2. समस्त विभागाध्यक्ष, रापनि, मु. जयपुर
3. समस्त महा प्रबन्धक ( ),रापनि,.......................
4. संयुक्त महा प्रबन्धक/उप महा प्रबन्धक ( ), रापनि,मुख्यालय,जयपुर ।
5. सचिव निगम, राजस्थान परिवहन निगम, मुख्यालय,जयपुर ।
6. समस्त कार्यकारी प्रबन्धक ( ),रापनि,.........................
7. प्रभारी केन्द्रीय कंट्रोल रूम, राजस्थान परिवहन निगम, मुख्यालय,जयपुर ।
8. समस्त जोनल मेनेजर, राजस्थान परिवहन निगम,..............................
9. समस्त मुख्य उत्पादन प्रबन्धक,राजस्थान परिवहन निगम, केन्द्रीय कार्यशाला,..................
10. समस्त मुख्य प्रबन्धक/प्रबन्धक (प्रशासन/संचालन/वित्त/यातायात) रापनि ....
11. आदेश पत्रावली ।

19/4/2020
(एम.पी.मीना)
कार्यकारी निदेशक (प्रशासन)

Scanned by CamScanner